क्लीन नोट पालिसी

अवलोकन

भारत में मुद्रा, मुद्रा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भले ही हम डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं यह देखा गया है कि चलन में कई नोट गंदे और कटे-फटे थे और उन्हें विनिमय का एक अच्छा माध्यम नहीं माना जाता था। कोई भी इन नोटों को स्वीकार नहीं करना चाहता था, हालाँकि अगर किसी को लेन-देन करते समय ये नोट मिले, तो वे पहले उपलब्ध अवसर में इनसे छुटकारा पाना चाहते थे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1999 में क्लीन नोट नीति पेश की है, जिसमें बैंक गंदे, फटे और कटे-फटे नोट ग्राहक को नहीं देंगे और उसे आरबीआई में जमा करेंगे। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत एक निर्देश जारी किया है, जिसमें करेंसी नोट/पैकेट स्टेपलिंग को प्रतिबंधित किया गया है।

उद्देश्य

क्लीन नोट नीति का उद्देश्य ग्राहकों को अच्छे करेंसी नोट और सिक्के उपलब्ध कराना है। गंदे नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है और जनता को केवल अच्छे नोट जारी किए जाते हैं। काउंटर पर मिले गंदे नोटों को रिसाइकिल करने से बचें।

आरबीआई की क्लीन नोट पालिसी

- बैंक करेंसी नोटों को बिना स्टेपल और बिना सिले हुए ही स्वीकार और डिलीवर करेगा
- बैंक गंदे नोटों को हटाना सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे नोट परिचालित न हों। ऐसे सभी नोट अच्छे नोट से रिप्लेस किया जाएगा
- सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि करेंसी नोट बिना स्टैपल स्थिति में जमा करवाएं। बैंक भी बिना स्टेपल किये नोट ही जारी करेगा।
- कृपया करेंसी नोटों पर कुछ न लिखें
- माला/खिलौने बनाने, पंडाल और पूजा स्थलों को सजाने के लिए बैंक नोटों का उपयोग न करें और ना ही सामाजिक आयोजनों आदि में व्यक्तित्वों पर डालने के लिए उपयोग करें।
- हमारे टेलर काउंटर पर आरबीआई नोट रिफंड नियम 2009 के तहत गंदे और कटे-फटे करेंसी नोट निःशुल्क रूप से एक्सचेंज किये जाते हैं
- हमारी नकदी काउंटरों पर सिक्के और छोटे मूल्य वर्ग के नोट निःशुल्क रूप से जारी /स्वीकार किये जाते हैं
- नोटों पर वॉटरमार्क एक प्रमुख सिक्योरिटी फीचर है और अगर वॉटरमार्क टूटी हो तो मशीन उन्हें खराब नोटों के रूप में वर्गीकृत करती है